

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 29/2020

रजिस्ट्रेशन नं. :2020/00031

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य
सुरक्षा अधिकारी बांसवाड़ा

बनाम

1. श्री नितीन दोषी पुत्र श्री जयन्तीलाल दोषी
जाति जैन मैसर्स तीर्था एन्टरप्राइजेज
प्रतापगढ मेन रोड घाटोल जिला बांसवाडा
(राजस्थान)
2. श्री अर्पित जैन पुत्र श्री भारतेन्द्र जैन जाति
जैन, मालिक मैसर्स- अर्पित ट्रेडर्स धरियावाद
रोड, साबला, मु.पो. साबला, जिला डुंगरपुर
(राजस्थान)

उपस्थित :-

श्री नितीन दोषी, श्री अर्पित जैन

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 04-11-2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री अशोक कुमार गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 04-09-2020 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 16-10-2019 को 03.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स तीर्था एन्टरप्राइजेज घाटोल पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री नितीन दोषी पुत्र श्री जयन्तीलाल दोषी उपस्थित थे। निरीक्षण करने पर विक्रेता की दुकान पर प्लास्टिक के एक कट्टे में तीखा लाल मिर्च पाउडर तेजा के 500 ग्राम वाले 25 पैकेट मूल ही कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में आम जनता को विक्रय हेतु पाये गए। इसके सब स्टेण्डर्ड, अनसेफ, मिसब्राण्ड का शक होने पर विक्रेता को फार्म नं.5ए पर उक्त तीखा लाल मिर्च पाउडर तेजा के 500 ग्राम वाले 4 पैकेट मूल ही कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 320 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। वास्ते निरीक्षण खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन-2019 का दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने 2019 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा तीखा लाल मिर्च पाउडर तेजा के 500 ग्राम वाले 4 पैकेट को चार साफ, सुखी व खाली प्लास्टिक के जारों में भरकर (प्रत्येक में एक पैकेट तीखा लाल मिर्च पाउडर तेजा रखकर) जार का मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर एक नमूना भाग जांच हेतु खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाया।



29

खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) से प्राप्त जांच रिपोर्ट LS 516/Act/2019/536 दिनांक 23.10.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया तीखा लाल मिर्च पाउडर तेजा Contravention of Regulation 2.2.1(6) 2.2.2(10) & 2.4.4(12) of food safety & Standards (packaging & Labelling) Regulation 2011 पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मीसब्राण्डेड होना पाया गया है। विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) उल्लंघन किया है। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया। अभियुक्त सं. 2 ने उक्त माल कहीं से प्राप्त किया है का बिल, इनवॉइस की सूचना नहीं देकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26, 27(2)(d) एवं सहपठित धारा 26(2)(v) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत जुर्माना योग्य होने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 09-09-2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 04-11-2020 को अभियुक्त श्री नितीन दोषी पुत्र श्री जयन्तीलाल दोषी जाति जैन मैसर्स तीर्थ एन्टरप्राइजेज प्रतापगढ मेन रोड घाटोल, श्री अर्पित जैन पुत्र श्री भारतेन्द्र जैन जाति जैन, मालिक मैसर्स- अर्पित ट्रेडर्स धरियावाद रोड, साबला, मु.पो. साबला, जिला डुंगरपुर ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) से प्राप्त जांच रिपोर्ट LS 516/Act/2019/536 दिनांक 23-10-2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया तीखा लाल मिर्च पाउडर तेजा Contravention of Regulation 2.2.1(6) 2.2.2(10) & 2.4.4(12) of food safety & Standards (packaging & Labelling) Regulation 2011 पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मीसब्राण्डेड होना पाया गया। प्रकरण में अभियुक्तगणों द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।


अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मीसब्राण्डेड पाया गया तीखा लाल मिर्च पाउडर तेजा विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 एवं अभियुक्त सं. 2 ने उक्त माल कहीं से प्राप्त किया है का बिल, इनवॉइस की सूचना नहीं देकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26, 27(2)(d) एवं सहपठित धारा 26(2)(v) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा




Me

58 के तहत के तहत आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्री नितीन दोषी पुत्र श्री जयन्तीलाल दोषी जाति जैन मैसर्स तीर्था एन्टरप्राइजेज प्रतापगढ मेन रोड घाटोल को 15000/- एवं श्री अर्पित जैन पुत्र श्री भारतेन्द्र जैन जाति जैन, मालिक मैसर्स- अर्पित ट्रेडर्स धरियावाद रोड, साबला, मु.पो. साबला, जिला डुंगरपुर को 30000/- के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 04-11-2020 खुले न्यायालय सुनाया गया।




(नरेश बुनकर)
न्यायनिर्णयन अधिकारी
(खाद्य सुरक्षा कानून)
भानुवा (स.ज.)